तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
17/11/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को पेश हो। 17/11
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वक्त कमी पत्रावली 23/12/24 को वास्ते आदेश पत्रावली पेश हो। 29/11
23/12/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र वास्ते वादी नं. (2) के कायम मुकाम वास्ते रिकार्ड पर लेने एवं सब्सटीट्यूशन वास्ते पेश हुई। प्रार्थी मालेन्द्र कुमार द्वारा एक प्रार्थनापत्र वास्ते वादी क्रम (2) लगायत (5) को नहीं वादी सब्सटीट्यूशन करने हेतु आदेश 5 के तहत में लिमिटेशन एक्ट के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी क्रम (2) की मृत्यु दिनांक 26/5/21 को होने के पश्चात वादी क्रम (2) के वारिसों द्वारा वकालतनामे पर हस्ताक्षर ना करने के

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
कारण प्रार्थनापत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस आधार पर हुई देरी को क्षम्य करने हेतु निवेदन किया गया। वादी का अपने ट्रान्सपोजीशन प्रार्थना पत्र में निवेदन है कि वादी (2) के वारिशों के वकालतनामा देने से मना करने तथा वादी (3) से 5 द्वारा मुख्तारनामा निरस्त करने के सम्बन्ध में जानकारी नहीं देने के कारण इन्हें प्रतिवादी के रूप में ट्रान्सपोजीशन करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र का जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी क्रम 2 लगायत 5 द्वारा वादी (1) के हक में मुख्तारनामा आम को खारिज कर अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई है। प्रतिवादी का यह भी कथन रहा है कि जब वादी (2) लगायत (5) वाद चलाना ही नहीं चाहते तो उन्हें प्रतिवादी के रूप में ट्रान्सपोजीशन नहीं किया जा सकता। बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि वादी (2) का देहान्त हो चुका है। कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	वादी ③ व. ⑤ द्वारा मुख्तारनामा आम [illegible] करवा दिया गया है, जिसकी आम सूचना [illegible] में प्रकाशित करवा रखी है, अतः दावा [illegible] सीमा तक खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि दावा चल रहा है, यदि कोई वादी दावा नहीं चलाना चाहता तो अन्य वादी का अधिकार है कि ट्रांसपोजीशन किया जावे। वादी अभिभाषक का यह भी कथन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गए अवैध परिवर्तनों की दुरुस्ती हेतु प्रस्तुत का वाद है, तथा पूर्व की जमाबन्दी में वर्णित यह पृथक आवश्यक पक्षकार है यदि वे वाद नहीं भी चलाना चाहते तो आवश्यक पक्षकार होने से उनका ट्रांसपोजीशन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अभिभाषक प्रतिवादी का यह भी कथन रहा कि मुख्तारनामा आम निरस्त करना प्रमाणित करता है कि वे वाद को आगे नहीं चलाना चाहते अतः ट्रांसपोजीशन नहीं हो सकता। न्यायिक दृष्टान्त - 2010 (2) RLW 1458 (SC) - 2019 (1) CJ (Civil) (SC) 228 हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया, बहस वुकलाय फरीकैन पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
वादी कुम 2 की मृत्यु 26/5/21 को हुई तथा प्रार्थनापत्र वास्ते कायम मुकामान एवं ट्रांसपोजीशन 23/3/22 को प्रस्तुत किया गया। न्यायिक दृष्टान्त 2019(1) CJ(Civ)(SC)-228 से यह तो स्पष्ट है कि यदि सहप्रत्यर्थी के विरुद्ध निर्णय हेतु कोई तात्विक प्रश्न विद्यमान हो तो ट्रांसपोजीशन किया जा सकता है। वहीं न्यायिक दृष्टान्त 2010(2) RRT 1458 से मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि अत्यधिक विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण उपस्थित हैं या नहीं। हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत लिमिटेशन एक्ट को स्वीकार करने का आधार प्रदान करती हैं। सह वादी द्वारा वकालतनामा उपलब्ध ना कराना, POA निरस्तीकरण के अखबार में प्रकाशन की जानकारी सही समय पर उपलब्ध ना होना आदि के आधार पर हम वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वास्ते कायम मुकामान व ट्रांसपोजीशन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।	

अतः वादी का प्रार्थनापत्र बाबत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह... ताय...
	वादी क्र.2 के कायम मुकामात को रिकार्ड पर लेते स्वीकार किया जाता है तथा वादी (2) जगायत (5) का ट्रान्सपोजीशन स्वीकार कर उन्हें प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। एजावली वास्ते संशोधित वादपत्र 9/01/25 को पेश हो। 23/12/24	